रंजीत सिंह उर्फ दारा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 683/2009 )

सितंबर 20, 2010

**(न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरिंदर सिंह निज्जर)**

दंड संहिता, 1860 धारा 302-हत्या-आरोपी एक कमरे में पाया गया जहाँ उसकी सौतेली माँ कटे हुए घाव के साथ मृत पड़ी थी-उसके कपडे खून से सने हुए थे और उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी-अधीनस्थ न्यायालय इस समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिस्थितियां अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा कर रही है-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि-अपील में अभिनिर्धारितः मौखिक, चिकित्सकीय और दस्तावेजी साक्ष्य निःसंदेह आरोपी को हत्या के अपराध से जोड़ रहे थे-वे दस्तावेज जिनके आधार पर प्रतिरक्षा की गई थी कि वास्तविक अपराधी को बचा लिया गया था, और अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया था, उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास नहीं करके सही किया, क्योंकि दस्तावेजों के रचयिता की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई गई थी-सर्वोच्च न्यायालय को समवर्ती

निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने हेतु कोई भी ऐसी असाधारण परिस्थिति नहीं बताई गई कि न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता-भारतीय संविधान 1950-अनुच्छेद 136-साक्ष्य- परिस्थिति जन्य साक्ष्य।

भारतीय संविधान, 1950 अनुच्छेद 136-हस्तक्षेप का दायरा-अभिनिर्धारितः अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं- यद्यपि, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही होगा-दंड संहिता, 1860, धारा 302।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतका अपीलकर्ता की सौतेली मां थी। वह अपने बेटे, पीडब्ल्यू-11 के साथ घर की पहली मंजिल पर रहती थी, जो मृतका के पति का था। अपीलार्थी के भाईयों में से एक पीडब्ल्यू-12, जो अपने परिवार के साथ उसी घर के भूतल पर रहता था। अपीलकर्ता भोपाल में रहता था और पीडब्ल्यू-12 के घर पर नियमित रूप से आता था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलकर्ता अपनी कार में भोपाल से इंदौर आया और सुबह लगभग 11.30 बजे अपनी कार पीडब्ल्यू-12 के घर के बाहर खड़ी की। वह पीडब्ल्यू-12 की पत्नी से मिला, जिसने अपीलकर्ता से भोजन के लिए पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह पीडब्ल्यू-12 के साथ भोजन करेगा। फिर वह अपने कमरे के अंदर चली गयी। करीब 10-12 मिनट बाद उसकी नौकरानी पीडब्ल्यू-9 ने आकर बताया कि उसने

मृतका के कमरे से चीखें सुनी हैं। दोपहर करीब 2.30 बजे मृतका का बेटा अपनी माँ से कुछ पैसे लेने के लिए घर आया। उसने देखा कि कमरा अंदर से बंद है। उसने अपीलकर्ता को फोन पर बात करते हुए सुना और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसी बीच, पीडब्ल्यू-12 आया और उसने भी अपीलकर्ता से दरवाजा खोलने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने चिल्लाकर कहा कि वह पुलिस के आने पर ही दरवाजा खोलेगा। जब पुलिस पहुंची, तो अपीलकर्ता ने दरवाजा खोला और कहा कि उसने मृतका की हत्या कर दी है। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

तत्काल अपील में अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया कि उसे झूठा फँसाया गया था और असली अपराधी को बचाया जा रहा था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.निस्संदेह, मौजूदा मामले में, हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने संपूर्ण साक्ष्य की विस्तारपूर्वक सावधानी से जांच की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अपीलकर्ता ने ही की थी। अधीनस्थ न्यायालयों का

दृष्टिकोण सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप था, क्योंकि अभियोजन का मामला केवल या मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। (पैरा 11) (995-सी-डी)

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एससीआर 1091- पर विश्वास किया गया।

रंगैया बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 16 एससीसी 737; घुरे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एससीसी 450; अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलोच बनाम गुजरात राज्य (2009) 11 एससीसी 625; बुध सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 9 एससीसी 731; राजीवन बनाम केरल राज्य (2003) 3 एससीसी 355; धरमवीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 4 एससीसी 469; रबिन्द्र महतो बनाम झारखण्ड राज्य (2006) 10 एससीसी 432; अकील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 16 एससीसी 372- का संदर्भ दिया गया।

2. पीडब्लू 10 ने रिपोर्ट प्रदर्श 14 में मृतका के पति का नाम इंगित किया है, जो साक्ष्य उसके अपराध की ओर इशारा करती है। इस रिपार्ट में यह उल्लेख है कि यह प्राप्त जानकारी पर आधारित थी। यद्यपि, रिपोर्टकर्ता जानकारी के स्रोत को निर्दिष्ट करने में विफल रहा था, हालांकि, एक स्तर पर उसने कहा था कि उसने जांच अधिकारी पीडब्ल्यू 13 से बात की थी। अपितु जांच अधिकारी द्वारा इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं की गई। इस

प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस सुझाव को भी विश्वसनीय नहीं माना कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 में मृतका के पति का नाम सही ढंग से दर्ज किया गया था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निष्कर्ष निकाला कि मृतका के पति का नाम पी.डब्ल्यू. 10 के दिमाग में भ्रम का परिणाम हो सकता है। इन दोनों गवाहों के साक्ष्य के विवेचन के पश्चात् दोनों अधीनस्थ न्यायालय जिस निष्कर्ष पर पहुंची, उसे अनुचित या विकृत नहीं कहा जा सकता। मौखिक, चिकित्सकीय और दस्तावेजी साक्ष्य निस्संदेह अपीलकर्ता को हत्या से जोड़ रहे हैं। मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 11 से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि चोट सं. 2, 3 एवं 4 के अलावा मृतका के शरीर पर पाई गई सभी चोटें कटे हुए घाव थे। उक्त सभी चोटें तलवार जैसे धारदार हथियार से कारित की गई थी। इसके अलावा अपीलकर्ता मृतका के कमरे में अपनी उपस्थिति के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार कहाँ से आई, इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सभी परिस्थितियाँ संकलित रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है। (पैरा12-15) (996-बी-डी)

3. अपीलकर्ता ने यह कहकर बचाव करने की कोशिश की थी कि जिस समय हत्या हुई थी, उस समय वह पहले से ही पुलिस की हिरासत में था। उसके मुताबिक, पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, जिसके चलते मेडिकल जांच की जरूरत पड़ी। उसने प्रदर्श डी 05 पर भरोसा किया,

जिसमें अपीलकर्ता का घटना के दिन सुबह 11.30 बजे परीक्षण किया गया था। सुबह 11.30 बजे मेडिकल जांच की कहानी पर विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अविश्वास किया था कि चूंकि अपीलकर्ता भोपाल से वहां हत्या के कुछ समय पहले आया था, अतः सुबह 11.30 बजे उसके पुलिस की हिरासत में होने की संभावना कम थी। वैसे भी मेडिकल रिपोर्ट में निरीक्षण का समय सुबह 11.30 बजे होने की प्रविष्टि भिन्न स्याही से लग रही थी। उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि प्रदर्श डी. 05 पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त रिपोर्ट के रचयिता की कभी जांच नहीं की गई थी। उपरोक्त निष्कर्ष दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की समुचित विवेचना के आधार पर निकाला गया था। भारत के संविधान के अनु. 136 के तहत अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने हेतु इस न्यायालय को कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बताई गई हैं। निस्संदेह, अनु. 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं; तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगा। (पैरा 16, 17) (999-एफ-एच; 1000-ए-ई`)

गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य (2005) 6 एससीसी 211 - को लागू होना नहीं पाया गया।

केस कानून संदर्भः

| | | |
|---|---|---|
| (2008) 16 एससीसी 737 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2008) 10 एससीसी 450 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2009) 11 एससीसी 625 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2006) 9 एससीसी 731 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2003) 3 एससीसी 355 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2010) 4 एससीसी 469 | संदर्भित किया गया है | पैरा 8 |
| (2006) 10 एससीसी 432 | संदर्भित किया गया है | पैरा 9 |
| (2008) 16 एससीसी 372 | संदर्भित किया गया है | पैरा 9 |
| 1952 एससीआर 1091 | विश्वास किया | पैरा 11 |
| (2005) 6 एससीसी 211 | लागू नहीं | पैरा 17 |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 683/2000।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के आपराधिक अपील संख्या 2000 के 469 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.03.2006 से।

के.टी.एस. तुलसी, रामनिवास, राजकमल, ए.पी. धमीजा अपीलकर्ता की ओर से संजीव मल्हौत्रा।

सी.डी. सिंह, सन्नी चौधरी, शशांक परिहार, साक्षी कक्कर प्रतिवादी की ओर से।

उच्च न्यायाल्य के न्यायाधीश सुरिन्दर सिंह निज्जर द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. यह अपील आपराधिक अपील संख्याः 469/2000 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है। जिसमें विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति एवं अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण) एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर द्वारा पारित धारा 302 भा.द.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की सजा के आदेश की पुष्टि की गई है।

2. मृतका जयावती माची सिंह की दूसरी पत्नी थी। जयावती (बाद में मृतका के रूप में संदर्भित) की मृत्यु हत्या की ओर ले जाने वाले दुखद प्रकरण का अभियोजन संस्करण मुख्य रूप से हुकुम सिंह (पीडब्ल्यू 11) द्वारा सुनाया गया है। वह माची सिंह और मृतका का पुत्र है। माची सिंह की पहली पत्नी कौशल्या देवी ने 13 बच्चों जन्म दिया था। उनके 8 बेटे थे, सुरंेद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, नानक सिंह, रणजीत सिंह उर्फ दारा (बाद में अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित), जसबीर सिंह, संतोष सिंह, त्रिलोचन सिंह (पीडब्ल्यू 12), और पांच बेटियां।

3. मृतका जयावती अपने बेटे डी हुकुम सिंह (पीडब्ल्यू 11) के साथ ए.एच. सुकल्या रोड पर पहली मंजिल पर रहती थी। त्रिलोचन सिंह उर्फ लकी (पीडब्ल्यू 12) अपनी पत्नी सुरेंद्र कौर उर्फ पोली (पीडब्ल्यू 1) के साथ भूतल पर रहते थे। अपीलकर्ता सुकल्या स्थित घर पर नियमित आगंतुक था। दि. 06/09/1997 की सुबह अपीलार्थी कार से ही भोपाल से इंदौर गया था और लगभग 11.30 बजे घर पहुंचा। वह कार बाहर खड़ी करके अंदर गया। उसी दिन दोपहर करीब 2 से 3 बजे जयावती उसी घर में मृत पाई गई।

4. अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि रणजीत सिंह नामक व्यक्ति ने टेलीफोन पर सूचित किया था कि किसी ने मकान नंबरः ए.एच. 37 सुकल्या में हत्या कर दी है और आरोपी को पकड़ लिया गया है तथा हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी एसएचओ, ब्रिजेश मिश्रा (पीडब्ल्यू 13) द्वारा जनरल डायरी में क्रमांकः 357 (एक्स पी/19 सी 14ः50 बजे) पर दर्ज की गई थी। इसके बाद एसएचओ कांस्टेबल बालकिशन (पीडब्ल्यू 8) के साथ संबंधित घर की ओर बढ़े। घर पहुंचने पर जब वह पहली मंजिल पर गया तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने अंदर मौजूद व्यक्ति से दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब अपीलकर्ता ने अंदर से दरवाजा खोला तो उसके पास खून से सनी तलवार थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। दरवाजे पर भी खून के धब्बे थे। जयावती डबल बेड पर लेटी हुई थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था। त्रिलोचन सिंह उर्फ लकी

(पीडब्ल्यू 12) ने फिर आरोपी से पूछा, "दारा, तुमने क्या किया है?" अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि "मैंने सही किया है, आप चुप हो जाएं और यहां से चले जाएं।" एसएचओ, ब्रिजेश मिश्रा (पीडब्ल्यू 13) ने आरोपी को अपनी तलवार सौंपने के लिए राजी किया और उसने तलवार को फर्श पर रख दिया। कांस्टेबल बालकिशन (पीडब्ल्यू 8) को पहरा देने के लिए तैनात किया गया था।

5. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हत्या स्थल पर पहुंचे। हुकुम सिंह (पीडब्ल्यू 11) ने रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 लिखित में दी और उसके आधार पर देहाती नालिश प्रदर्श पी/17 दर्ज किया गया। जांच और पूछताछ रिपोर्ट के लिए सम्मन जारी किए गए थे और जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी/8 तैयार किया गया। पीडब्ल्यू 8 को जयावती के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। त्रिलोचन सिंह (पीडब्ल्यू 12) के कहने पर नक्शा मौका प्रदर्श पी/20 तैयार किया गया था। राजेश दुबे (पीडब्ल्यू 3) और नानूराम (पीडब्ल्यू 4) की उपस्थिति में, तलवार को फर्श से जब्त कर लिया गया, मृतका के पैर के पास सोने की एक बाली पड़ी हुई थी, साधारण कपास-जिसमें रक्त एकत्र किया गया था, दरवाजे के पीछे पड़ी तलवार की म्यान, खून से सने बिस्तर की चादरें और तकिए के कवर को जरिए प्रदर्श पी/13 पूर्व में जब्त कर लिया गया। आरोपी को प्रदर्श पी/6 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके कपड़े अर्थात् शर्ट, जींस, जूते एवं उसके हाथों से निकाला गया खून प्रदर्श पी/4 के तहत

जब्त कर लिया गया। आरोपी को पुलिस स्टेशन हीरानगर ले जाया गया और मामला संख्याः 165/97 धारा 302 आईपीसी के तहत पूर्व पी/21 के तहत दर्ज किया गया। अभियुक्त को मेडिकल प्रपत्र प्रदर्श पी/22 जारी कर मेडिकल परीक्षण हेतु भी भेजा गया।

6. आदेश दि. 07.03.2000 द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5000 रूपये का जुर्माना लगाया। 5000/- का भुगतान न करने पर उन्हें एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ा। उपरोक्त फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के समक्ष आपराधिक अपील संख्याः 469/2000 याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दि. 13.03.2006 के आदेश द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि की। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है।

7. हमने अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वान श्री के.टी.एस. तुलसी और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से श्री सी.डी. सिंह को सुना है।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश विश्वसनीय प्रासंगिक सामग्रियों से हमें अवगत कराने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.टी.एस. तुलसी ने निवेदित किया कि शुरू में अपीलकर्ता के पिता माची सिंह को आरोपी बनाया गया

था। श्री तुलसी के अनुसार यह गलत आरोपित करने का मामला है। असली अपराधी, संभवतः माची सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने घटनाओं का क्रम बताया जो उनके अनुसार अपीलकर्ता द्वारा की गई हत्या को असंभव नहीं तो कम से कम बहुत संदिग्ध बना देगा। उनका कहना है कि इस मामले में एफआईआर शाम 7 बजे दर्ज की गई थी। हालांकि, घटना के विवरण का उल्लेख करने वाला पहला दस्तावेज डॉ. सुधीर शर्मा (पीडब्ल्यू 10) की निरीक्षण रिपोर्ट है। दोनों अधीनस्थ अदालतों ने इस गवाह के साक्ष्य को अवैध रूप से खारिज कर दिया है। श्री तुलसी ने इस बात पर जोर दिया कि पीडब्ल्यू 13 ब्रिजेश मिश्रा, एस.एच.ओ., जो जांच अधिकारी थे, ने  पीडब्ल्यू 10 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मौके का निरीक्षण नहीं किया। इस मामले में जांच अधूरी होने के कारण पीडब्ल्यू 13 के साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था। वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस बात पर जोर दिया कि हत्या के समय अपीलकर्ता पहले से ही पुलिस की हिरासत में था। उसे मेडिकल जांच के लिए डॉ. आर.सी. चौधरी के पास भेजा गया था। चिकित्सकीय परीक्षण में इस गवाह ने परीक्षण का समय 11.45 बजे दर्ज किया था। अपीलकर्ता के हाथों पर 5 चोटें आईं। श्री तुलसी के अनुसार, जिस तरह से अपीलकर्ता को चोटें लगीं थी, मृतका की चोटों की प्रकृति के कारण अपीलकर्ता के लिए उस तरीके से तलवार चलाना अंसभव था। श्री तुलसी के अनुसार जानबूझ कर असली अपराधी को बचाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की गई। वरिष्ठ

अधिवक्ता द्वारा निवेदित किया गया कि स्पष्ट रूप से देरी तब हुई, जब संबंधित व्यक्ति वास्तविक हमलावर को बचाने के लिए एक विश्वसनीय संस्करण गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एफआईआर के विलंबित पंजीकरण के अलावा, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एफआईआर की एक प्रति अगले पांच दिनों में न्यायाधीश को क्यों नहीं भेजी गई? श्री तुलसी के अनुसार दोनों अधीनस्थ अदालतों द्वारा अभियोजन मामले में अंतर्निहित कमजोरियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इन कमियों का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए था। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने रंगैया बनाम कर्नाटक राज्य ((2008) 16 एससीसी 737), घुरे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2008) 10 एससीसी ) और अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलूच बनाम गुजरात राज्य ((2009) 11 एससीसी 625) के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया।

एफआईआर की प्रति देरी से प्राप्त होने के प्रभाव के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने बुध सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2006) 9 एससीसी 731) और राजीवन बनाम केरल राज्य ((2003) 3 एससीसी 355) पर विश्वास किया।

9. यद्यपि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने माना है कि एफआईआर की प्रति भेजने में देरी से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों ने पाया है कि पीडब्ल्यू 13 द्वारा देरी के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। किसी भी स्थिति मंे, एफआईआर की प्रति भेजने में देरी अपने आप में पूरे अभियोजन साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने धरमवीर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2010) 4 एससीसी 469), रवीन्द्र महतो बनाम झारखंड राज्य ((2006) 10 एससीसी 432) और अकील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2008) 16 एससीसी 372) पर विश्वास किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता का अपराध करने का स्पष्ट उद्देश्य था। उसे डर था कि पिता वैध पुत्रों की अपेक्षा नाजायज पुत्र (पीडब्ल्यू 11) को तरजीह दे सकता है। असली हत्यारे को बचाने के संबंध में तर्क सिर्फ अपीलकर्ता को बचाने के लिए है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके हाथ और तलवार दोनों खून से रंगे हुए थे। उसे हत्या करते समय तलवार से चोटें आई थीं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रदर्श डी 05 पर निर्भरता प्रदर्श पी 22 द्वारा गलत साबित होती है। इसलिए प्रदर्श डी 05 को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। प्रदर्श पी 22 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है क्योंकि उसे तलवार से चोटें लगी थी। उपरोक्त तथ्य को पीडब्ल्यू 13 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से दर्शाया है।

10. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

11. निःसंदेह इस मामले में हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर पूर्ण विश्वास किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पूरे सबूतों की बहुत सावधानी से जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अपीलकर्ता ने ही की है। अधीनस्थ न्यायालयों का दृष्टिकोण उन मामलों में सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है, जहां अभियोजन का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। एसे मामलों में सिद्धांत निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एससीआर 1091 के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया:-

> "यह याद रखना उचित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति की है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले उदाहरण में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए। फिर, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवर्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो कि साबित अपराध के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को

छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, उनकी एक श्रृंखला होनी चाहिए कि अब तक के सबूत पूर्ण है ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जाए और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

12. श्री तुलसी ने यह बताने की कोशिश की है कि इस मामले में असली दोषी को बचाया जा रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि संभवतः माची सिंह ने ही हत्या की है। माची सिंह को किसी अपराध से जोड़ने का एकमात्र सबूत डॉ. सुधीर शर्मा (पीडब्ल्यू 10) द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 में उसके नाम का उल्लेख है। यह रिपोर्ट स्वयं इंगित करती है कि यह प्राप्त जानकारी पर आधारित है। रिपोर्टकर्ता जानकारी के स्त्रोत को निर्दिष्ट करने में विफल रहा है, यद्यपि, एक समय पर (पीडब्ल्यू 10) द्वारा यह कहा गया था कि उसने जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू 13) से बात की थी। लेकिन, जांच अधिकारी की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस सुझाव पर कोई भी विश्वास करने से इनकार कर दिया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 में माची सिंह का नाम सही ढंग से दर्ज किया गया था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निष्कर्ष निकाला है कि माची सिंह का नाम डॉ. सुधीर शर्मा (पीडब्ल्यू 10) के मन में भ्रम का परिणाम हो सकता है। उक्त दोनों गवाहों के साक्ष्य की उचित विवेचना के बाद दोनों

अधीनस्थ न्यायालय जिस निष्कर्ष पर पहुंची, उन्हें अनुचित या विकृत नहीं कहा जा सकता ।

13. दूसरी ओर पत्रावली पर मौखिक, चिकित्सकीय और दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो निःसंदेह ही अपीलकर्ता को हत्या से जोड़ रहे हैं। अपीलकर्ता मृतका का सौतेला बेटा था। मृतका माची सिंह के मकान की पहली मंजिल पर रहती थी। भूतल पर त्रिलोचन सिंह और उनकी पत्नी सुरिंदर कौर का कब्जा था, जो पीडब्ल्यू 01 के रूप में पेश हुए। उसने गवाही दी थी कि अपीलकर्ता भोपाल में रहता है। वह दि. 06.09.1997 की सुबह इंदौर आया था। उसकी कार घर के बाहर खड़ी थी। वह अपीलकर्ता से मिली थी और उससे पूछा था कि क्या वह भोजन करना चाहता है? हालांकि, उन्होंने कहा था कि वह उसके पति त्रिलोचन सिंह (पीडब्ल्यू 12) के साथ भोजन करेंगे। इसके पश्चात् वह अपने कमरे में चली गई। लगभग 10-15 मिनट बाद किरण (पीडब्ल्यू 9), उसकी नौकरानी आई और उसने बताया कि उसने जया चाची के कमरे से चीखें सुनी हैं। किरण ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता भोपाल में रहता है, वह अक्सर इंदौर आता है। उसने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि हत्या के समय वह घर में था। पीडब्ल्यू 11 ने कहा कि हत्या के दिन वह फिल्म देखने जाना चाहता था। वह दोपहर करीब 1.30 बजे अपने दोस्त को तैयार होने के लिए कहने के लिए घर से निकला। फिर वह अपनी मां से फिल्म के लिए कुछ पैसे लेने के लिए दोपहर करीब 2.30/2.45 बजे घर वापस आया। इसलिए वह ऊपर उसके कमरे में चला

गया। उसने कमरे के अंदर से अपीलकर्ता की आवाज सुनी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वह टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा हो। कमरा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और अपीलकर्ता से दरवाजा खोलने के लिए कहा ताकि वह अपनी मां से बात कर सके। अपीलकर्ता ने उससे कहा, "अभी तुम जाओ, मैं जया से बात करना चाहता हूं।" अपीलकर्ता ने उसे बताया कि मृतका बाथरूम में थी। उसने बाहर गैलरी में जाकर देखा तो बाथरूम में कोई नहीं था। वह फिर आया और अपीलकर्ता से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी बीच; त्रिलोचन सिंह (पीडब्ल्यू 12) भी वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। उन्होंने अपीलकर्ता को भी बुलाया। उन्हें अपीलकर्ता द्वारा चले जाने के लिए भी कहा गया था। अंततः अपीलकर्ता ने चिल्लाकर कहा कि वह पुलिस के आने पर ही दरवाजा खोलेगा। इसी बीच पुलिस आ गई। पीडब्ल्यू 13 की पहचान से संतुष्ट होने पर, अपीलकर्ता ने दरवाजा खोला। उसने कहा कि उसने ही मृतका की हत्या की है। उस समय उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। पीडब्ल्यू 13 के निर्देश पर, उसने तलवार फर्श पर रख दी थी। हुकुम सिंह (पीडब्ल्यू 11) फिर कमरे के अंदर गया और देखा कि उसकी मां खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी। देहाती नालिश को उनके द्वारा बताई गई घटनाओं के क्रम के आधार पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एफआईआर (पी 21) दर्ज की गई। इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई, उससे कोई

भी उपयोगी सार नहीं निकल सका। पीडब्ल्यू 11 द्वारा दिया गया संस्करण जांच अधिकारी पीडब्ल्यू 13 की गवाही के अनुरूप है।

14. मौखिक साक्ष्य के अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श (पी 11) यह पूर्णतया स्पष्ट करती है कि चोट संख्या 2, 3 और 4 को छोड़कर, मृतका पर पाई गई सभी चोटें, कटे हुए घाव थे। डॉ. पी.सी. जैन (पीडब्ल्यू 5) द्वारा लिखित तथा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें वर्णित हैं:-

1. कटा हुआ घाव 3×2×0.5 सेमी. अनुप्रस्थ तिरछी दिशा में (टीआर. 06) पेट के ऊपरी मध्य बिंदु पर (9 सेमी. नाभी के ऊपर)

2. बाएं हाइपोकॉन्ड्रियम पर 1.5×0.4 सेमी. का घर्षणयुक्त क्षेत्र।

3. सार्वजनिक क्षेत्र पर घर्षण 3×1 सेमी.।

4. सार्वजनिक क्षेत्र पर घर्षण 1×0.5 सेमी. (3 सेमी. चोट के नीचे )

5. कटा हुआ घाव- पेट के ऊपरी भाग पर आंतरिक आकार 3.4 सेमी × 2 सेमी. चाकू का घाव। तिरछी दिशा में लंबवत (वीटी 06) आंत से 17 सेमी. नीचे मौजूद है। एक्सिलरी फोल्ड का आंत आंतरिक रूप से तिरछा ऊपर की ओर चलता है, पेट की दीवार की पूरी चौड़ाई (अक्षांश की ओर), पेट की दोनों दीवारों से गुजरता है और लीवर के बायें लोब पर कट का निशान बनाता है (घाव का आकार 1.3×0.4×3 सेमी. गहरा है)। संपूर्ण

उदर गुहा रक्त से भरी होती है और बहुत कम भोजन के कण (अर्ध पचा हुआ) पेट से बाहर आते हैं और पेट पर घाव के पास मौजूद होते हैं।

6. बाएं इंगुइनल के पार्श्व भाग पर 3×2×1 सेमी. का कटा हुआ क्षेत्र (वीटी 06)।

7. कटा हुआ घाव- कटा हुआ आकार 4×2×0.3 सेमी गहराई में बाएं हाथ की मध्य उंगली पर। (पृष्ठीय पहलू और आधार वीजीटी के पास 06)।

8. कटा हुआ घाव- 4×2×0.3 गहराई में बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के आधार के पास (वीटी 06)।

9. कटा हुआ घाव- बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर 2×0.5×0.2 सेमी गहराई में अध्य भाग और हथेली के पीछे तक।

10. बाएं हाथ की बांह पर 2.5×1×0.3 सेमी. का कटा हुआ घाव। कलाई के जोड़ से 8 सेमी. ऊपर उपस्थित।

11. (खोपड़ी की गहराई तक) कटा हुआ घाव 6×1×1 सेमी। सिर के बायें हिस्से के टेम्पोरेल क्षेत्र सैजिटल में (2 सेमी ऊपर बायें कान के पिन्ना और पीछे की ओर)।

12. कटा हुआ घाव 3×2×0.5 सेमी बायें बटॉक पर (ऊपरी और बाहरी चतुर्थांश और वीटी 06)।

13. कटा हुआ घाव 1.5×0.4 त्वचा गहरा ऊपरी और बाहरी चतुर्थांश।

14. 1×0.2 (ऊपर 4 सेमी) गहरा कटा हुआ घाव।

15. दायें अग्रबाहु पर मौजूद कटा हुआ घाव 7×3×1 सेमी.। पोस्ट मीडिया पर कलाई के जोड़ से 5 सेमी. ऊपर।

16. 4 कटे हुए घाव 4×2 सेमी कटा हुआ दायें हाथ के अंगूठे के आधार पर और अन्य 3 घाव 1×4 सेमी । दाहिनी कलाई और हाथ के एक तल के पहलू त्वचा की गहराई में।

17. 5×2×0.3 सेमी कटा हुआ घाव। (मुंह के दायें हिस्से में गहराई में उपस्थित और पार्श्व में चलित)।

15. उपरोक्त सभी चोटें तलवार जैसे तेज धार वाले हथियार से कारित हो सकती है। इसके अलावा, अपीलकर्ता मृतका के कमरे में अपनी उपस्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। उसके हाथ में खून से सनी तलवार होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुल मिलाकर सभी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है।

16. अपीलकर्ता ने यह कहकर बचाव करने की कोशिश की थी कि जिस समय हत्या की गई थी, उस समय वह पहले से ही पुलिस की हिरासत में था। उसके मुताबिक, पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, जिसके चलते मेडिकल जांच की जरूरत पड़ी। अपीलकर्ता के अनुसार, मेडिकल जांच डॉ. आर.सी. चौधरी द्वारा की गई थी। उन्होंने प्रदर्श डी 5 पर विश्वास किया,

जिसमें इंगित है कि अपीलकर्ता की जांच 06.09.1997 को सुबह 11.30 बजे की गई थी। सुबह 11.30 बजे मेडिकल जांच की कहानी पर विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अविश्वास किया है कि चूंकि अपीलकर्ता हत्या से कुछ समय पहले ही भोपाल से आया था, इसलिए हत्या के समय 11.30 बजे उसके पुलिस हिरासत में होने की संभावना बहुत कम है। मेडिकल रिपोर्ट चोट रिपोर्ट में निरीक्षण के समय सुबह 11.30 बजे की प्रविष्टि शेष रिपोर्ट से अलग स्याही में प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रदर्श डी 5 पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त रिपोर्ट के लेखक डॉ. आर.सी. चौधरी से कभी पूछताछ नहीं की गई। रिपोर्ट डीडब्ल्यू 1 द्वारा न्यायालय में पेश की गई थी, जिसमें केवल यह कहा था कि रिपोर्ट डॉ. चौधरी द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि रिपोर्ट पर डॉ. चौधरी के हस्ताक्षर हैं। हमारी राय में, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी गलत या विकृत नहीं कहा जा सकता है।

17. रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की उचित विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष दिया गया है। इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग हेतु कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बताई गई हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि श्री तुलसी द्वारा दी गई अधिकांश दलीलें निस्संदेह साक्ष्य की विवेचना के दायरे में थीं। निःसंदेह, अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप केवल

असाधारण परिस्थितियों में ही होगा। गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य ((2005) 6 एससीसी 211) के मामले में इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि किन असाधारण परिस्थितियों में यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है:

> "10. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति के प्रयोग पर इस न्यायालय के निर्णयों की उपरोक्त श्रंृखला से निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं:
>
> (क) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत विस्तृत हैं, लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
>
> (ख) यदि उच्च न्यायालय ने विकृत रूप से अन्यथा अनुचित तरीके से कार्रवाई की है तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार इस न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित है।
>
> (ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह न्यायालय केवल उन असाधारण परिस्थितियों में ही इस शक्ति का उपयोग करने के लिए खुला है, जब आम जनता

के महत्व के कानून का कोई प्रश्न उठता है या कोई निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

(घ) जब अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और ऐसे में उस पर कार्रवाई करना बेहद असुरक्षित है।

(ड़) जहां साक्ष्य की विवेचना और निष्कर्ष, कानूनी प्रक्रिया की किसी त्रुटि से दूषित हो गया हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया गया हो, रिकॉर्ड की त्रुटियां और साक्ष्य की गलत व्याख्या, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से असमर्थित हैं।"

18. हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता का मामला कानून के उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है।

19. श्री तुलसी ने पीडब्ल्यू 10, पीडब्ल्यू 11 और पीडब्ल्यू 13 के साक्ष्यों के बीच कई विसंगतियों और विरोधाभासों को इंगित करने का प्रयास किया है। हम उपरोक्त प्रस्तुतियों से अधिक प्रभावित नहीं हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह माना गया कि विसंगतियां ऐसी नहीं हैं कि अभियोजन साक्ष्य को खारिज किया जाये।

20. ऊपर बताए गए कारणों से, हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के तर्कसंगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।